Title: Implementation of NRC in all the six district of Santhal Pargana pertaining to Santhal Pargana Tenancy Act.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद ।

सर, मैं इस सदन में अपने इलाके के बारे में हमेशा आवाज उठाता रहा हूं। मेरा इलाका संथाल परगना संथालों का इलाका है, संथालों की आबादी वर्ष 1911 में लगभग 35-36 परसेंट थी। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, वर्ष 2011 का जो सेंसेस आया है, वह आबादी 25 परसेंट हो गई है। वर्ष 2022 का जो सेंसेस है, लोग कहते हैं कि वह आबादी 23 परसेंट हो गई है।

सभापति महोदय, पूरे देश भर में जो डीलिमेटेशन हुआ, लोक सभा और राज्य सभा की सीटों का जो डीलिमिटेशन हुआ, लेकिन वर्ष 2008 में हमारा डीलिमिटेशन नहीं हो पाया। उसमें लोक सभा की एक शेड्यूल ट्राइब की सीट और विधान सभा की तीन शेड्यूल ट्राइब्स की सीटें घट रही हैं। आज महत्वपूर्ण मसला यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण तो कर ही रहे हैं, वे उनके साथ शादी कर रहे हैं, जिससे शेड्यूल ट्राइब्स का आचार-विचार, प्रकार और व्यवहार पूरी तरह खत्म हो रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे भारत सरकार से केवल तीन आग्रह हैं। एक आग्रह यह है कि संथाल परगना के सभी छ: जिलों में एनआरसी लागू की जाए, जिससे वास्तविकता, जो कि मैं कह रहा हूं, वह सही है या नहीं है।

सर, मेरी दूसरी मांग यह है कि वहां संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है, वह एक्ट कहता है कि भाई, भाई को जमीन नहीं दे सकता। आदिवासियों की जमीन सुरक्षित करने के लिए यह कानून है। इस कारण मेरा आग्रह है कि जो बच्चे धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाते हैं, चूंकि वह आदिवासियों की लैंड है, इसलिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में उनको वह सुविधा न मिले।

सभापति महोदय, मेरी तीसरी डिमांड यह है कि जब वे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर में नियम लागू है कि महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिलता है, उसी तरह आदिवासी के नाम पर जो अधिकार मिला हुआ है, धर्मांतरण के बाद वह अधिकार और केंद्र और राज्य सरकार की कोई सुविधा उन्हें न मिले, यह मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।